



अधिसूचना

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, द्वारा निर्गत किए गए कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017-ई.IV दिनांक 13.07.2017 के अनुसरण में, परिवहन भत्ता प्रदान करने के लिए 7वें सीपीसी की सिफारिश बोर्ड में 01.07.2017 से कार्यान्वित/अंगीकृत की गई है।

इसके अलावा, बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/यूनिटों/उ.के. से उपर्युक्त कथित कार्यालय ज्ञापन का पूर्णतः सुनिश्चित/पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

यह बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

हस्ता/

(जयप्रकाश चतुर्वेदी)

उपसचिव (प्रशा एवं विधि)

वितरण :-

1. अध्यक्ष, सीबीएसई के निजी सचिव
2. बोर्ड सचिव/परीक्षक नियंत्रक/निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक के व.नि.सचिव
3. संयुक्त सचिव, आई.टी./व. ज. संपर्क अधिकारी/उ.के. प्रभारी, सीबीएसई
4. अनुभाग अधिकारी स्तर तक के सभी अधिकारियों को अपने संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाने के निर्देश सहित
5. अधीक्षक, एसबीएसडब्ल्यूए, सीबीएसई
6. नोटिस बोर्ड
7. सूचना पट्ट
8. गार्ड फाइल